भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2324
दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 / 19 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

पंजीकृत और अपंजीकृत सुरक्षा अभिकरण

†2324. श्री अजय कुमार मंडलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत पंजीकृत और अपंजीकृत सुरक्षा अभिकरणों का राज्य / संघ राज्यक्षेत्र – वार ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार द्वारा निजी सुरक्षा अभिकरणों के आदर्श नियम, 2020 बनाकर निजी सुरक्षा अभिकरणों को व्यापक अधिदेश दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) निजी सुरक्षा अभिकरणों को इस नियम से क्या लाभ होंगे;
(घ) क्या सरकार के पास देश में निजी सुरक्षा अभिकरणों की भर्ती और प्रशिक्षण सहित उनके कार्यकरण को विनियमित करने के लिए कोई तंत्र है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क): केंद्र सरकार देश में कार्य कर रही प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों (पीएसए) का रिकॉर्ड नहीं रखती है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधीन नियंत्रण प्राधिकरणों को सक्षम बनाने के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है, ताकि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 [पीएसएआर अधिनियम] के संबद्ध प्रावधानों की प्रभावकारी निगरानी हेतु एक डाटाबेस रखा जा सके। पीएसएआरए पोर्टल के अनुसार, दिनांक 05.12.2024 तक पीएसए के 25536 वैध लाइसेंस मौजूद हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2324, दिनांक 10.12.2024

(ख) और (ग): केंद्र सरकार ने वर्ष 2006 के पूर्ववर्ती मॉडल नियमों के स्थान पर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण केंद्रीय मॉडल नियम, 2020 अधिसूचित किए हैं। नए मॉडल नियमों में ईको-सिस्टम संबंधी परिवर्तनों को स्थान दिया गया है और ये नियम 'डिजिटल इंडिया' और 'ई-गर्वनेंस' की प्रमुख परिकल्पनाओं के अनुरूप हैं। इन नियमों से प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को होने वाले लाभ निम्नानुसार हैं:

- डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे प्रौद्योगिकीय विकासों को अपनाना।
- यह पहली बार हुआ है कि फिजिकल इंटरफेस के बिना पूर्ववर्ती सत्यापन के लिए अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली (सीसीटीएनएस)/अंतर-प्रचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के एक डिजिटल डाटाबेस का उपयोग किया जाएगा, जिससे पूर्ववर्ती सत्यापन हेतु समय सीमा 90 दिन से घटकर 15 दिन हो जाएगी।
- राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) को शामिल करना।
- आवेदन पत्रों का सरलीकरण।
- गार्डों के पूर्ववर्ती सत्यापन प्रमाण-पत्र की वैधता को 3 वर्ष के स्थान पर बढ़ाकर 5 वर्ष करना।
- प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की अखिल भारतीय वैधता।
- किसी प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी को एक राज्य में प्रदान किए गए लाइसेंस के मामले में, अन्य राज्यों में पूर्ववर्ती सत्यापन प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं होना।
- अप्रत्याशित घटना संबंधी खंड का प्रावधान करना।
- लाइसेंस हेतु प्रशिक्षण संबंधी विषयों को शामिल करना।
- 'न्यूनतम सरकार' और 'अधिकतम शासन' के साथ 'कार्य करने की सुगमता' को बढ़ावा देना।

(घ) और (ङ): प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों को पीएसएआर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाता है। प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की भर्ती और प्रशिक्षण को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा तैयार किए गए प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमों के अनुसार विनियमित किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नियंत्रण प्राधिकरणों को प्राइवेट सुरक्षा गार्डों हेतु प्रशिक्षण सुनिश्चित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/नियंत्रण प्राधिकरणों को निर्देश भी जारी किए

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2324, दिनांक 10.12.2024

गए हैं, ताकि यह कड़ाई से सुनिश्चित किया जा सके कि प्राइवेट सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा गार्डों के रूप में उनकी नियुक्ति से पूर्व पंजीकृत प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पीएसएआर अधिनियम और संबंधित राज्य नियमों में निर्धारित प्रशिक्षण अनिवार्य तौर पर प्रदान किया जाए।

*****